पत्रांक-.........180 (प्र0)........../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,
अररिया/मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा, पूर्णियां, मधेपुरा, सुपौल एवं अररिया।

पटना-15, दिनांक- 31अगस्त, 2008

महाशय,

कृपया कैम्प्स स्थापित करने के संबंध में मेरे पत्रांक 158, दिनांक 28.08.08 का निदेश करें। अभी राहत कैम्प उपलब्ध स्कूल/कॉलेजों में स्थापित किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया चलेगी। इसके अतिरिक्त टेन्टेड कैम्प्स भी लगाये जायेंगे। इसके लिए आपको टेन्ट्स भेजे गए हैं। इन टेन्ट्स का उपयोग करके जगह-जगह कैम्प खोले जाएं। जैसा कि पूर्व में निदेश दिया गया है टेन्ट का erection भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा पेयजल एवं temporary sanitation का निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त; चूंकि प्रभावित व्यक्ति वापस अपने घरों में चार-पांच महीनों के बाद ही जा पायेंगे अत: राज्य सरकार द्वारा semi permanent shelter के लिए GI Sheets की व्यवस्था की जा रही है। इन GI Sheets का उपयोग कर बड़े-बड़े कैम्प स्थापित किये जाएंगे। कैम्पों की स्थापना भवन निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। इन कैम्पों में बाढ़ प्रभावित लोग उस समय तक रह सकेंगे जब तक वे अपने घर वापस जाने की स्थिति में न हो जाएं। कृपया बड़े-बड़े कैम्पों के लिए स्थल चयन कर भवन निर्माण विभाग को सूचित करें।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव